भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 918

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है।

.....

नमामि गंगे कार्यक्रम

918. डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री डी.के.सुरेश:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नमामि गंगे कार्यक्रम की कोई समय-सीमा अथवा इसके अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014-15 में इस कार्यक्रम के आरंभ होने के बाद से अब तक सरकार द्वारा स्वीकृत निधि और उसके उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं, उनके लागात आबंटन और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौर क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास नदी में छोड़े जा रहे अशोधित मल-जल और औद्योगिक बहिस्त्रावों की मात्रा के बारे में कोई आंकड़े है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गंगा नदी में अशोधित मल-जल और औद्योगिक बाहिस्त्रावों के निरंतर प्रवाह पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम वर्ष 2014-15 में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम को दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट प्रबंधन (घाट और शवदाह गृह विकास), ई-फ्लो, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी आदि जैसे व्यापक कार्यकलाप किए गए हैं। अब तक, 38,022.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 450 परियोजनाएं

शुरू की गई हैं, जिनमें से 270 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चल रही में हैं। अधिकांश परियोजनाएं सीवेज अवसंरचना के सृजन से संबंधित हैं क्योंकि, अनुपचारित घरेलू/औद्योगिक अपशिष्ट जल, नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है। 6,173.12 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) क्षमता सृजित और बहाल की गई है और लगभग 5,253.64 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए 31,344.13 करोड़ रुपये की लागत से 195 सीवरेज अवसंरचना ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 109 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिसके परिणामस्वरूप 2664.05 एमएलडी एसटीपी क्षमता का सृजन और बहाली तथा 4465.54 किमी सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया है।

सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2023 (जनवरी से सितंबर) में गंगा नदी के मेन स्टेम के 5 राज्यों में जल गुणवत्ता आकलन के अनुसार, पाई गई जल गुणवत्ता से पता चलता है कि घुलित ऑक्सीजन की मीडियन वैल्यू, जो नदी के स्वास्थ्य का एक संकेतक है, को अधिसूचित प्राथमिक बाथिंग जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे खंड के लिए नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संतोषजनक पायी गयी है। (i) उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद से डलमऊ, राय बरेली और (ii) उत्तर प्रदेश में अनुप्रवाह मिर्जापुर से ताड़ीघाट, गाजीपुर (प्रतिप्रवाह वाराणसी, विश्व सुंदरी पुल को छोड़कर) के खंड में सीमान्त (मार्जिनल) मात्रा (बीओडी: 32 से 45 मिग्रा/लीटर) को छोड़कर, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) की मीडियन वैल्यू स्वीकार्य सीमा के भीतर पायी गयी है।

डॉल्फ़िन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए, आदि की प्रजातियों की संख्या के बढ़ने के साथ जैव विविधता में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है।

कनाडा में वर्ष 2022 में मॉन्ट्रियल में, पार्टियों के 15 वें सम्मेलन (सीओपी 15) में, पारिस्थितिकी तंत्र पुनरुद्धार संबद्ध संयुक्त राष्ट्र दशक ने नमामि गंगे पहल को शीर्ष 10 विश्व पुनरुद्धार फ्लैगशिप कार्यक्रम में से एक के रूप में मान्यता दी है।

नदी की सफाई एक सतत् प्रक्रिया है और भारत सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके यमुना नदी सहित गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की समस्याओं का निपटान करने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

(ख): नमामि गंगे एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन है जिसकी शुरुआत वर्ष 2014-15 में दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ की गई है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम की आवश्यकता और प्रसार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक 22,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन को अनुमोदित किया है। अब तक, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को कुल 16,011.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। एनएमसीजी ने कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उक्त अवधि के दौरान विभिन्न एजेंसियों को 15,015.26 करोड़ रुपये जारी/संवितरित किए हैं।

चूंकि कई उच्च बजट सीवरेज अवसंरचना, परियोजनाएं हाइब्रिड एनुयिटी मोड (एचएएम) मॉडल के तहत शुरू की जाती हैं और निर्माण चरण के दौरान पूंजीगत व्यय की केवल 40% राशि ही को संवितरित किया जाता है, शेष 60% कैपेक्स और मासिक प्रचालन एवं रखरखाव लागत का भुगतान 15 वर्षों की अवधि में एक एनुयुटी के रूप में किया जाता है। इस विशिष्ट भुगतान संरचना के परिणामस्वरूप बहुत कम व्यय होता है और व्यय की एक बड़ी राशि 15 वर्षों की लंबी अवधि में फैल जाती है। वर्ष-वार वित्तीय ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): स्वीकृत परियोजनाओं, उनके लागत आबंटन और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गंगा से जुड़े 5 मुख्य राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल) में गंगा किनारे के 110 शहरों से 3558 एमएलडी सीवेज उत्पादन का अनुमान लगाया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किए गए उपायों से इस समय गंगा नदी के मेन स्टेम के किनारे स्थित शहरों के साथ कुल शोधन क्षमता बढ़कर 2589 एमएलडी हो गई है। इसके अलावा, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड के माध्यम से लगभग 910 एमएलडी सीवेज का उपचार किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, गंगा नदी के मेन स्टेम पर बसे शहरों में 1104 एमएलडी एसटीपी क्षमता विकसित करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सीपीसीबी, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2021-अप्रैल 2022 के दौरान सात राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में 2706 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का निरीक्षण किया गया जो इन नदियों में प्रदूषित जल छोड़ते हैं। यह अनुमान लगाया गया था कि ये जीपीआई, बीओडी के संदर्भ में 27.71 टन प्रतिदिन के प्रदूषण भार के साथ लगभग 411.25 मिलियन लीटर प्रति दिन अपशिष्ट जल का निर्वहन करते हैं।

गंगा नदी के लिए सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन सहित प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

• नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, अब तक 38,022.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 450 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 270 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चल रही हैं। इन 450 परियोजनाओं में से, 195 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 109 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2664.05 एमएलडी एसटीपी क्षमता का सृजन और पुनर्वास किया गया और 4465.54 किमी सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया है।

• यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के वास्तविक समय के विश्लेषण के लिए प्रयाग- प्लेटफॉर्म, गंगा और यमुना नदी पर नदी के पानी की गुणवत्ता, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन एफ्लुएंट

ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और आदि के कार्य-निष्पादन की निरंतर मॉनीटरिंग के लिए दिनांक 20 अप्रैल 2023 को एक ऑनलाइन डैशबोर्ड स्थापित किया गया था।

• गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के मेन स्टेम पर चल रहे अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण वर्ष 2017 से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किया गया है। तकनीकी संस्थानों और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) की संयुक्त टीम द्वारा वर्ष 2017 में 1109 जीपीआई, वर्ष 2018 में 961 जीपीआई, वर्ष 2019 में 1072 जीपीआई, वर्ष 2020 में 2740 जीपीआई, वर्ष 2021 में 2706 जीपीआई और वर्ष 2022 में 3186 जीपीआई का निरीक्षण किया गया। डिफॉल्टर उद्योगों को एनएमसीजी द्वारा उन सीईटीपी/ईटीपी जो निर्वहन मानक के अनुरूप नहीं हैं के लिए कारण बताओ नोटिस और बंद करने के निदेश सहित उपयुक्त निर्देश जारी किए जाते हैं ।

• केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गंगा नदी के मेन स्टेम राज्यों में पल्प एवं कागज, चीनी, डिस्टिलरी, वस्त्र और टेनरी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में जल पुनर्चक्रण और प्रदूषण निवारण के लिए उद्योगों को सुविधा प्रदान करने के लिए चार्टर आधारित सहभागी दृष्टिकोण तैयार किया है जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, अपशिष्ट न्यूनीकरण पद्धतियों, बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों (ईटीपी) के संवर्धन और उपचारित बहिस्त्रावों के पुन उपयोग/पुनर्चक्रण पर जोर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट ताजे जल की खपत, अपशिष्ट जल निर्वहन और प्रदूषण भार में कमी आई है और अनुपालन में सुधार देखा गया।

• वर्ष 2018 में एनजीटी के निर्देशों पर, 351 प्रदूषित नदी खंडों के संबंध में, राज्य सरकारों ने पहचान किए गए प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए नदी संरक्षण समितियों का गठन किया है। इन्हें राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग राज्य स्तर पर मुख्य सचिवों द्वारा नियमित रूप से और सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में केन्द्रीय निगरानी समिति द्वारा मासिक/द्विमासिक आधार पर की जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2022 में 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 279 नदियों में 311 प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की पहचान की है।

*****

अनुलग्नक-I

'नमामि गंगे कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 07.12.2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 918 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष-वार वित्तीय विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	एनएमसीजी द्वारा संवितरण/रिलीज (करोड़ रुपये में)
2014-15	326.00	170.99
2015-16	1,632.00	602.29
2016-17	1,675.00	1,057.87
2017-18	1,423.12	1,579.81
2018-19	2,307.50	2,589.74
2019-20	1,553.40	2,297.11
2020-21	1,300.00	1,339.97
2021-22	1,892.70	1,881.76
2022-23	2,220.00	2,215.85
2023-24*	1,681.93	1,279.87
कुल	**16,011.65**	**15,015.26**

(* 31 अक्टूबर 2023 तक)

*****

अनुलग्नक-II

'नमामि गंगे कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 07.12.2023 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 918 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

स्वीकृत परियोजनाओं, उनके लागत आबंटन और पूरी हो चुकी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्रं.सं.	परियोजना का प्रकार		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या
1	सीवरेज परियोजनाएं	उत्तराखंड	41	1,581.59	36
		उत्तर प्रदेश	69	14,097.18	37
		बिहार	37	6,160.15	13
		झारखंड	5	1,310.30	2
		पश्चिम बंगाल	27	4,742.02	11
		हरियाणा	2	217.87	2
		दिल्ली	9	1951.03	7
		हिमाचल प्रदेश	1	11.57	1
		राजस्थान	1	258.48	0
		मध्य प्रदेश	2	603.94	0
		विकेन्द्रीकृत मॉड्यूलर एसटीपी ।	1	410.00	0
		कुल	195	31,344.13	109
2	घाट और श्मशान घाट		104	1733.88	79
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन		12	295.26	9
4	संस्थागत विकास (गैर-अवसंरचना)		29	1764.30	9
5	परियोजना कार्यान्वयन सहायता / अनुसंधान और अध्ययन परियोजनाएं / जनसंपर्क और सार्वजनिक आउटरीच		37	260.29	12
6	जैव विविधता		14	238.93	8
7	वनरोपण		37	525.18	32
8	समग्र पारिस्थितिक कार्य बल और गंगा मित्र		6	200.18	5
9	बायोरेमेडिएशन		15	238.96	7
10	गंगा नदी के पास ग्राम पंचायतों के पास आईएचएचएल का निर्माण		1	1421.26	0
	कुल योग		**450**	**38022.37**	**270**

*****